मातादीन आदि – कमला देवी आदि इ.अ. 126/03

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	दिनांक	
16.4.18	[illegible] अपील अधिकारी [illegible] रेस्पो० उपस्थित [illegible] महोदय द्वारा [illegible] पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 23.4.18 को पेश हो।	
23-4-18	बार-बार आवाज दिलाई गई। अपीलार्थी एवं अपीलार्थी के वकील कोई हाजिर नहीं आये। अतः अदम हाजरी एवं अदम पैरवी साबित होने से अपील खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official